INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAVAN : NEW DELHI-1

No. 21-9/2007 - CDN

INDEX No. Q.045/0.7 CDN(KB)

Dated the 14th March, 2007.

To

All Directors/Project Directors of
ICAR Research Institutes/PD/NRC/ZCU.

Sub :- Instructions of revised rate of stitching charges – regarding.

A copy of the O.M No. S.14/3/2006 – JCA dated 28.9.2006 of DOPT on the above cited subject is enclosed for necessary action and guidance.

(P. K. JAIN)
UNDER SECRETARY (GAC & CASH)

DISTRIBUTION:

1. OSD to DG.,ICAR.
2. PPS to Secy., ICAR.
3. Director(Fin.),ICAR/ Director(Per.),ICAR/Director (DIPA).
4. Dr. B. N. Chatopadhyay, Media & Information Unit for putting in the ICAR Web – Site.
5. Secy (Staff Side) HJSC, ICAR, Krishi Bhavan.
6. Secy. (Staff Side), CJSC, NCIPM, Pusa, New Delhi.

The Directors of Research Institute are also requested to make available copy of orders/instructions to the staff side officials JCM of their Instt.

संख्या-14/3/2006-जे.सी.ए.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 28.09.2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सिलाई दरों में संशोधन।

राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय एवं इससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों (जैसे चपरासी, सफाई कर्मचारी, फराश, स्टाफ कार चालक, पत्र वाहकों आदि) को आपूर्ति की जाने वाली वर्दियों की सिलाई खर्च की दरों को संशोधित करने के मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इस मंत्रालय के दिनांक 18.12.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-14/4/2000-जे.सी.ए. के द्वारा जारी पहले के अनुदेशों को आशोधित करके सिलाई खर्च की दरें तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

2. सिलाई खर्च की संशोधित दरें दिनांक 28.09.2006 से निम्नलिखित के अनुसार तय की गई है :-

सर्दी की वर्दी की सिलाई के खर्च की दरें

(1)	बंद गले के कोट एवं पैंट की सिलाई के खर्च की दर	-	500/- रुपए
(2)	स्टाफ कार चालकों की लिए ओवर कोट के सिलाई के खर्च की दर	-	400/- रुपए
(3)	महिलाओं के लिए हाफ कोट की सिलाई के खर्च की दर	-	400/- रुपए

गर्मी की वर्दी की सिलाई के खर्च की दरें

(4)	पैंट (टेरिकॉट) की सिलाई के खर्च की दर	-	90/- रुपए
(5)	कमीज (पोली वस्त्र) की सिलाई के खर्च की दर	-	40/- रुपए
(6)	ब्लाउज की सिलाई के खर्च की दर	-	30/- रुपए
(7)	पेटीकोट की सिलाई के खर्च की दर	-	20/- रुपए
(8)	सलवार कमीज की सिलाई के खर्च की दर	-	60/- रुपए

बचाव-परक कपड़ों (मालियों/भिश्तियों) के सिलाई की खर्च की दरें

(9)	पाजामा की सिलाई के खर्च की दर	16/- रुपए
(10)	नेकर (हाफ-पैंट) की सिलाई के खर्च की दर	40/- रुपए
(11)	कमीज (सूती) की सिलाई के खर्च की दर	30/- रुपए

3. कृपया यह ध्यान में रखा जाए कि निर्धारित दरों पर सिलाई खर्च की प्रतिपूर्ति तभी की जाए जब सिली हुई वर्दियाँ दिखाई जाए तथा पहचान के लिए उन सिले हुए पोशाकों के उलटी तरफ उपयुक्त स्थान पर पक्की स्याही से मुहर लगी हो। यह सुनिश्चित करने के लिए एक सही रिकार्ड तथा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए कि कर्मचारी वर्दी का कपड़ा मिलने के बाद उचित समय (यानी एक महीने) में अपनी सिली हुई वर्दियाँ प्रस्तुत कर दें।

4. यह व्यय विभाग की अपनी दिनांक 26.09.2006 के आई.डी. सं.-568/ई.-II(ख)/2006 की सहमति से जारी किया जाता है।

(विधु कश्यप)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभाग ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक/भाषायी अल्पसंख्यक - समुदाय आयुक्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - आयुक्त/ पिछड़ा वर्ग-आयोग/अल्पसंख्यक-आयोग/प्रधानमंत्री कार्यालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/ राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ।
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
4. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
6. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की विभागीय परिषद् (जे.सी.एम.) के कर्मचारी पक्ष के सदस्य ।
7. लोक उद्यम चयन बोर्ड ।
8. अन्तर राज्य परिषद् सचिवालय ।